WESTERN UP CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

MARCH 2021

Address- **WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY**

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-2661685**

E-mail: wupcc@rediffmail.com **Website:** www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain

- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**
  Ms. Sarita Agarwal

- **Patrika Committee**

- **Chairman**
  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain

- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

WUPCCI

INDEX

- यूपी बजट हाइलाइट्स
- India needs to get into cutting edge tech to boost exports: Amitabh Kant
- लेबर सर्वे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च
- डाटा सेंटर कंपनियां सात श्रम कानूनों से बाहर
- चार दिन काम, तीन दिन छुट्टी का विकल्प होगा
- Variable Dearness Allowance w.e.f. 01-02-2021 in Engineering Industries
- रिटायर होने पर ज्यादा लाभ होगा
- एक देश एक लोकपाल
- बैंक कर्मी काम न करे तो लगाए फोन
- बैंक जल्द निपटाएंगे शिकायते
- डाकघर बैंक में नकद जमा और निकासी पर भी शुल्क
- बिक्री रिटर्न में खामी होने पर जीएसटी पंजीयन रद्द होगा
- जीएसटी चोरी में समन या नोटिस पर सील होंगे बैंक खाते
- हर तीन माह में चुन सकेंगे जीएसटी रिटर्न का समय
- वरिष्ठ नागरिको पर बढ़ सकता है टीडीएस का बोझ
- छोटी जरूरतों के लिए खुद छापिए स्टांप
- डिन से जारी वारंट पर ही अब कारोबारी के यहां छापा
- अब 15 राज्यों में कारोबार करना आसान, अब नहीं कराना होगा लाइसेंस रिन्यूअल
- डिजिटलीकरण के बाद संभव हो सकेगी 'वन नेशन वन रजिस्ट्री'
- नक्शा पास कराना होगा महंगा बढ़ी विकास शुल्क की दरें
- फायर एनओसी आसानी से मिलेगी
- अवैध निर्माणकर्ताओं को झटका, सिर्फ 10 प्रतिशत होगा शमन
- रिकॉर्ड स्टार्टअप की स्थापना, महिलाओं को मिल रही वरीयता
- बिजली के कार्यो के लिए उपकेंद्रों के न लगाने पड़ेंगे चक्कर
- सही दिशा में सरकारी नीतियों से बनेंगे रोजगार

WUPCCI

यूपी बजट हाइलाइट्स

राज्य में अगले साल के शुरू में चुनाव होने से पहले भाजपा सरकार का यह आखिरी बजट है। केंद्रीय बजट 2021-22 की तरह यूपी बजट 2021-22 भी कागज रहित रखा गया है। उत्तर प्रदेश कागज रहित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है। आइये जानते हैं यूपी बजट 2021-22 की मुख्य विशेषताएं। 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- शहरी क्षेत्रों में बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों हेतु Rs.425 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढाँचा सृजित किए जाने हेतु Rs.1,073 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- महिलाओं की चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए Rs.320 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु Rs.142 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के लिए Rs.1,300 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत Rs.5,395 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण योजना के लिए Rs.50 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालय के लिए Rs.270 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

WIJPCCI

- प्रदेश के हर व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' प्रारम्भ। इस हेतु Rs.100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु 'मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना' प्रारम्भ। इस हेतु Rs.12 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- कोरोना महामारी के लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना' लाई जा रही है। इस योजना हेतु Rs.100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु Rs.10 करोड़ की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु Rs.20 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
- युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कॉर्पस फंड में Rs.05 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु Rs.20 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु Rs.25 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु सरकार सतत प्रयासरत है। इसके लिए युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना हेतु Rs.8.55 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी।
- युवाओं के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन

WUPCCI

छात्रों को गुरुकुल पद्धत्ति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

- महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रदेश सरकार राज्य में #MissionShakti का संचालन कर रही है। इसी क्रम में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में Rs.32 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
- प्रदेश के बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में Rs.4,094 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु Rs.415 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना का संचालन किया जाएगा। इस नई योजना के लिए Rs.200 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
- महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु बजट में Rs.100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- राज्य की महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू करने का निर्णय लिया है।
- ग्रामीण भू-स्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्रोत प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु Rs.400 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए Rs.700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

WUPCCI

- प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत Rs.600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
- प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु Rs.100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में Rs.27 हजार 598 करोड़ 40 लाख की नई विकास योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।
- वित्तीय बजट 2021-22 में विधान मंडल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मंडल क्षेत्र विकास निधि हेतु Rs.2,000 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

India needs to get into cutting edge tech to boost exports: Amitabh Kant

India now needs to get into cutting edge technology to boost exports which will benefit sectors like telecom, automobiles, battery storage devices and solar energy, Niti Aayog CEO Amitabh Kant said.

Kant, speaking at the launch event for CII's report 'Foreign Trade & Investment in India: Unlocking Key Opportunities through Strategic Reforms', further said the country is at the cusp of a transformation.

"India now needs to get into cutting edge technology in order to boost its exports.

"…sectors such as telecom, automobiles, battery storage devices, and solar energy, among others, would benefit from technology exports," industry body CII said in a statement quoting Kant.

Kant also pointed out that reforms that have been implemented post the pandemic would go a long way in facilitating this process.

"Thanks to the reforms process in India, key indicators such as GDP, FDI and trade have risen sharply," he said, adding that India has became a favoured destination for global investment.

Kant said the report now highlights the measures that the government needs to take in order to make India more competitive in the global market.

Participating in the event,UK's Deputy Trade Commissioner, South Asia, Rhiannon Harries said trade and investment sits at the heart of the UK-India relationship.

The UK and Indian governments are already working closely on an enhanced trade partnership, which will help deepen trade ties, remove market access barriers and act as a roadmap for a potential future free trade agreement,Harries added.

The CII report presents a detailed analysis of the policies that affect India's openness with respect to international trade, including tariff and non-tariff barriers, and FDI, the statement said.

Against the background of the policy changes, the study analyses the trends and patterns of imports and exports and FDI inflows as also identifies on-ground issues being faced by companies in India.

It also highlighted the need to participate in preferential trade arrangements with key partners, alongside leveraging existing ones, for realising greater export and FDI and increasing India's integration into the regional and global value chains.

The report recommended key policy measures including developing a mechanism to review the effectiveness of single-window systems more regularly and effectively by the chief secretary of the respective states, digitisation and integration of land records, introduction of single online portal with integrated information, notification of fixed term employment by all states, among others.

To establish India as a global trade and investment hub, the CII report calls for exploring free trade agreements (FTAs) with key partners such as the UK, US and the EU.

It also suggests setting up a single point of contact for large overseas investors, designing specific policies for Champion Sectors, and introducing differential slab-based incentives as per FDI size.

लेबर सर्वे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लेबर ब्यूरो की तरफ से किए जा रहे देशव्यापी सर्वे के लिए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन लॉन्च किया है। साथ ही सर्वे के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नो की सूची संबंधी बुकलेट भी जारी की गई है।

एप्लीकेशन लॉन्च के दौरान संतोष गंगवार ने कहा नए सर्वे से देश में रोजगार की स्थिति की सही जानकारी देने में मदद मिलेगी। उनके मुताबिक़ इससे यह भी पता चलेगा कि देश में असंगठित क्षेत्र में कितने लोगो के पास रोजगार है और उसी हिसाब से भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

इस सर्वे के काम में लगी टीम की तारीफ़ करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रभाव के बाद भी देशव्यापी सर्वे के लिए बनाए गए एक्सपर्ट ग्रुप ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अब तक 46 बैंठकें हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि ये तय समय में पूरा हो जाएगा। सरकार ने इस सर्वे के लिए 2021-2022 तक का लक्ष्य रखा है। श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि श्रम विभाग की तरफ से नौकरियों से जुड़े जो भी आंकड़े आते है वो ईपीएफओ की तरफ आने वाली जानकारी होती है।

WUPCCI

डाटा सेंटर कंपनियां सात श्रम कानूनों से बाहर

उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर परियोजना लगाने वाली कंपनियां सात तरह के श्रम कानूनों के दायरे से बाहर होंगी। यह कानून मातृत्व लाभ, परिश्रामिक भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, रिक्तियों आदि से जुड़े है। कंपनियों को इस बाबत स्व प्रमाण पत्र देना ही होगा।

सरकार ने डाटा सेंटर नीति में इस बात का ख़ास तौर पर प्रावधान किया है। विशिष्ट शिकायतों को स्थिति में किए जाने वाले निरिक्षणो को छोड़कर इन श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरिक्षण से छूट होगी।

इनसे मिली छूट

- कारखाना अधिनियम
- मातृत्व लाभ अधिनियम
- दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम
- संविदा श्रम विनियमन एवं उन्मूल अधिनियम
- परिश्रामिक भुगतान अधिनियम
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
- सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम

चार दिन काम, तीन दिन छुट्टी का विकल्प होगा

देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में तीन दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। श्रम सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार हफ्ते में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है।

उनके मुताबिक़ नए लेबर कोड में नियमो में यह विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते है। नए नियमो के तहत सरकार ने काम के घंटो को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटो की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है, ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा पांच से घट सकता है। ईपीएफ पर टैक्स लगाने को लेकर बजट में हुए एलान पर और जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने कहा कि इसमें ढाई लाख रूपये से ज्यादा निवेश होने के लिए टैक्स सिर्फ कर्मचारी के योगदान पर लगेगा। कंपनी की तरफ से होने वाला अंशदान इसके दायरे में नहीं आएगा या उस पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। साथ छूट के लिए ईपीएफ और पीपीएफ भी नहीं जोड़ा जा सकता।

WUPCCI

Labour Laws Notification
Variable Dearness Allowance w.e.f. 01-02-2021 in Engineering Industries

The Notification dated 14-09-2016 was issued by the UP State Government under UP Industrial Disputes Act fixing minimum rate of wages and VDA in Engineering Industries employing fifty or more workmen. As per the said notification the VDA changes in every February and August of the year on the basis of All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 2001=100) from July to December of the previous year and January to June of the current year respectively. Thus VDA becomes payable on the Price Index which increase beyond 239 points and has to be neutralised cent percent.

The Price Index for the period July, 2010 to December, 2010 being (336, 338, 340, 345 & 342) the Average comes to 340.43.

Thus there is an increase of Price Index (340.83 – 239 = 101.83 points)

Therefore, the VDA amount w.e.f. 01-02-2021 to 31-07-2021 shall be as under:-

FOR ENGINEERING INDUSTRIES EMPLOYING 50 TO 500 WORKMEN:-

Category	**Minimum Wages**	**Total VDA from 01-02-2021**	**Total Wages from 01-02-2021 to 31-07-2021**	**Previous total Wages from 01-08-2020 to 31-01-2021**	**Nett Increase from 01-02-2021**
Unskilled	7440	3169.94	10609.99	10246.97	362.97
Semi-Skilled	8170	3480.97	11650.97	11252.38	398.59
Skilled	9070	3864.43	12934.43	12491.93	442.50

FOR ENGINEERING INDUSTRIES EMPLOYING 501 & ABOVE WORKMEN:

Category	**Minimum Wages**	**Total VDA from 01-02-2021**	**Total Wages from 01-02-2021 to 31-07-2021**	**Previous total Wages from 01-08-2020 to 31-01-2021**	**Nett Increase from 01-02-2021**
Unskilled	7800	3323.65	11123.32	10742.79	380.53
Semi-Skilled	8580	3655.65	12235.65	11817.07	418.58
Skilled	9360	3987.99	13347.99	12891.34	456.65

WUPCCI

The next change will take place w.e.f. 01-08-2021.

Please take care of Fitment amount & Annual Increment amount.

रिटायर होने पर ज्यादा लाभ होगा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने चार श्रम सहिंता के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। 1 अप्रैल 2021 से नए श्रम कानून को लागू करने की तैयारी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि नए श्रम कानून लागू होने पर कंपनियों को अपने सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) और दिए जाने वाले भत्ते में बदलाव करने होंगे। ऐसा इसलिए कि नए कानून के अनुसार किसी कर्मचारी के भत्ते, कुल वेतन के 50 % से अधिक नहीं हो सकते। इस नियम का पालन करने के लिए नियोक्ताओं को अपने कर्मचारी के मूल वेतन को 50 % तक बढ़ाना होगा। कुल वेतन को 50 % तक भत्ते को सीमित करने से स्टाफ की ग्रेच्युटी पर नियोक्ता का भुगतान भी बढ़ेगा, जो किसी कंपनी में पांच साल से अधिक समय तक काम करने वाले स्टाफ को दिया जाता है।

WJPCC

एक देश एक लोकपाल

बैंको, एनबीएफसी और प्रीपेड पेमेंट व्यवस्था के लिए अलग-अलग लोकपाल की मौजूदा व्यवस्था की जगह आरबीआइ ने एकीकृत लोकपाल का एलान किया है। इससे ग्राहकों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण करने में आसानी होगी। मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए आरबीआइ गवर्नर डॉ शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि जून 2021 में केंद्रीय बैंक इंटरनेट आधारित लोकपाल बिल स्किम लागू करेगा। इससे वित्तीय सेक्टर के ग्राहकों के हितो की रक्षा और बेहतर तरीके से हो सकेगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी को ज्यादा फंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक ने उन्हें बैंको की तरह ही टैप टार्गेटेड लांग टर्म रेपो ऑपरेशन्स (टीएलटीआरओ) से फंड दिलाने की इजाजत दे दी है।

कोरोना को देखते हुए अक्टूबर 2020 में कामथ समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआइ ने 26 सेक्टरों को इस व्यवस्था से फंड दिलाने की सुविधा दी थी। आरबीआइ ने सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों को ज्यादा फंड दिलाने के लिए भी कुछ तकनीकी संशोधन किये है। ख़ास तौर पर ऐसे एमएसएमई जिन्होंने अभी तक कोई बैंकिंग क़र्ज़ नहीं लिया है उन्हें ज्यादा कर्ज दिलाने के लिए बैंको को प्रोत्साहित किया गया है। आरबीआइ के नियमन संबंधी इन कदमो की विशेषज्ञो ने भी काफी प्रशंसा की है। प्रमुख टैक्स विशेषज्ञ फर्म बीडीओ इंडिया के पार्टनर सुराज मालिक ने कहा है कि एनबीएफसी और एमएसएमई सेक्टर आने वाले दिनों में देश की आर्थिक प्रगति को पटरी पर लाने में सबसे अहम हिस्सा होंगे। इन्हे ज्यादा कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना बेहद सराहनीय कदम है। वित्त मंत्री ने आम बजट में जो कदम उठाए है, आरबीआइ ने उन्हें आगे बढ़ाया है।

बैंक कर्मी काम न करे तो लगाए फोन

ग्राहक सेवाओं में शिकायतों पर बैंकिंग इंडस्ट्री ने बड़ी पहल की है। बैंक कर्मी द्वारा काम न करने और ग्राहकों को टरकाने की शिकायतों को एसबीआइ ने गंभीरता से हुए चार हेल्पलाइन नंबर जारी किये है। नंबरों को बैंक शाखा डिस्प्ले कर दिया है। यह चारो नंबर बैंक कार्यकाल में काम करेंगे। एसबीआइ द्वारा की गई इस पहल के बाद उम्मीद है कि अन्य बैंक भी इस दिशा में अहम फैसले लेंगे। दरअसल, बीते वर्षो में ग्राहक सेवाओं को लेकर बैंको की साख तेजी से गिरी है। इसे लेकर समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंको को चेताया भी जाता रहा है।

मोबाइल नंबर 9076603495, 9076603496, 9076603497, 9076603498 पर करे शिकायत।

WUPCCI

जल्द निपटाएंगे बैंक शिकायते

ग्राहकों की शिकायत की अनदेखी करना बैंको को भारी पड़ने वाला है। बैंक ग्राहकों की ओर से बढ़ती शिकायतों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत बैंको को ग्राहकों की ओर से मिली शिकायतों का निपटारा तय समयसीमा के अंदर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर जो भी खर्च आएगा वो वसूला जाएगा।

हालांकि, ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों से शिकायत की सुनवाई पर पहले की तरह कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आरबीआइ ने हाल के दिनों में तेजी से बढ़ती शिकायतों को देखते हुए बैंको को अपना शिकायत निवारण तंत्र को समयबद्ध तरीके से सुधरने को कहा है। ऐसा करने पर बैंको के खिलाफ पर्यवेक्षी कार्यवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि एक सख्त निवारण तंत्र बैंकिंग कारोवार का हिस्सा है। इससे बैंक मुँह नहीं मोड़ सकते है।

शिकायतों के आधार पर खर्च वसूली का पैमाना

बैंक की शिकायते ज्यादा है, इसे तय करने के लिए आरबीआई ने तीन पैमाने तय किए है।

पैमाना 1 : प्रति शाखा शिकायत औसत शिकायत से अधिक होना

पैमाना 2 : प्रति हजार खातों पर आई हुई शिकायतों की संख्या

पैमाना 3 : औसत 1000 डिजिटल लेनदेन पर कितनी शिकायत

चार तरह से वसूली जाएगा निपटारे का खर्च

1 - किसी एक पैमाने पर बैंक की शिकायते अधिक है तो 30 फीसदी खर्च की वसूली होगी।

2 - अगर दो पैमाने पर बैंक की शिकायते अधिक है तो 60 % खर्च की वसूली की जाएगी।

3 - तीनो पर औसत से अधिक शिकायते है तो पुरे खर्च की रिकवरी बैंक से की जाएगी।

4 - प्रति शिकायत वसूली साल के औसत खर्च से तय होगी।

WUPCC

किन-किन मामलो की शिकायतों पर लागू

एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, मिस सेलिंग, रिकवरी एजेंट, लोन और एडवांस, बिना नोटिस चार्ज, चेक, ड्राफ्ट, स्टाफ का व्यवहार आदि मामलो के शिकायतों पर नई गाइडलाइंस जारी होगी।

डाकघर बैंक में नकद जमा और निकासी पर भी शुल्क

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आइपीपीबी) आगामी पहली अप्रैल से नकद निकासी व नकद जमा करने के नियम बदलने जा रहा है। उस दिन से तय सीमा से अधिक बार नकद निकासी एवं नकद जमा पर ग्राहकों को अलग से शुल्क देना होगा। इस संबंध में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नोटिस जारी किया है। आइपीपीबी के नए नियम के मुताबिक़, बेसिक सेविंग खाते से एक महीने में चार बार नकद निकासी करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद नकद निकासी की जाती है तो 0.5 फीसद या कम से कम 25 रूपये प्रति निकासी रूप में देना होगा। सेविंग और करंट अकाउंट के मामले में हर महीने 25000 रूपये तक की नकद निकासी बिना किसी शुल्क के हो सकेगी। इससे अधिक की नकद निकासी पर खाताधारकों को निकासी का 0.5 फीसद या कम से कम 25 रूपये शुल्क देना होगा।

सेविंग या करंट खाताधारकों को तय सीमा से अधिक नकद जमा पर भी शुल्क देना होगा। ये खाताधारक हर महीने बिना किसी शुल्क के 10000 रूपये नकद अपने खाते में जमा कर सकेंगे। इससे अधिक जमा करने पर उन्हें जमा होने वाली राशि का 0.5 फीसद या कम से कम 25 रूपये हर जमा पर शुल्क देने होंगे। हालांकि बेसिक सेविंग खाताधारको के लिए नकद जमा की सीमा तय नहीं की गई है। आइपीपीबी ने अपने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) के नियमो में भी बदलाव किया है।

WUPCCI

बिक्री रिटर्न में खामी होने पर जीएसटी पंजीयन रद्द होगा

अब ऐसे कर दाताओ का जीएसटी पंजीयन तत्काल निलंबित किया जा सकता है, जिनके बिक्री रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 फॉर्म और उनके आपूर्तिकर्ता के द्वारा दायर रिटर्न में बड़ा अंतर पाया जाता है। कर चोरी पर लगाम लगाने तथा राजस्व बचाने के लिए जीएसटी अधिकारियों को अब यह अधिकार दिया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इस बारे में मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी के अनुसार, जीएसटी अधिनियम का उल्लंघन का संकेत देने वाली खामियां पायी जाने की स्थिति में अधिकारी तत्काल करदाता का पंजीयन रद्द कर सकते है। करदाताओं को इस बारे उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित किया जा सकता है।

जीएसटी चोरी में समन या नोटिस पर सील होंगे बैंक खाते

सरकार जीएसटी चोरी मामले में सख्ती ओर बढ़ाने जा रही है। बजट में जीएसटी से जुड़े प्रस्तावित कानून के मुताबिक़, अगर किसी व्यापारी को जीएसटी चोरी मामले में समन या नोटिस मिलता है तो आयुक्त उसके बैंक खाते और प्रॉपर्टी को सील कर सकेंगे। फिलहाल किसी व्यापारी के बैंक खाते और प्रॉपर्टी को तभी सील किया जा सकता है, जब जीएसटी चोरी का मामला साबित हो जाता है। जीएसटी चोरी मामले में सीजीएसटी एक्ट की धारा 83 के तहत नोटिस या समन दिया जाता है।

हर तीन माह में चुन सकेंगे जीएसटी रिटर्न का समय

जीएसटी काउंसिल ने मासिक और त्रैमासिक रिटर्न में कारोबारियों की समस्याओं को देखते हुए एक नया रास्ता दिया है। अब कारोबारियों के पास हर तीन माह में यह चुनने का विकल्प होगा कि वे किस तिमाही में

मासिक रिटर्न फ़ाइल करना चाहते है। जीएसटी काउंसिल ने अगले वित्तीय वर्ष के चारो तिमाहियों की तारीखें भी घोषित कर दी है कि किस तारीख से किस तारीख के बीच उन्हें इसके लिए विकल्प भर देना होगा।

काउंसिल ने पिछले वर्ष के अंत में पांच करोड़ रूपये से नीचे के टर्नओवर वाले सभी कारोबारियों को त्रैमासिक रिटर्न वाली श्रेणी में कर दिया था। इसके बाद उन्हें 31 जनवरी तक अपना विकल्प चुनने की छूट दी गई थी कि अगर वे चाहें तो वापस मासिक रिटर्न की श्रेणी में शामिल हो सकते है। इसके बाद भी बहुत से कारोबारी जानकारी अभाव में विकल्प चुन नहीं पाए थे। इससे कारोबारी बड़ी संख्या में परेशान हो रहे है। इन कारोबारियों की परेशानी दूर करने के लिए ही जीएसटी ने एक नया रास्ता निकाला है। कारोबारियों को यह छूट दी है कि वे लिए यह चुन सके कि किस वर्ग में रहना चाहते है।

ऐसे चुने समय

तिमाही	**चुनने का समय**
अप्रैल-जून, 2021	पहली फरवरी से 30 अप्रैल
जुलाई-सितम्बर, 2021	पहली मई से 31 जुलाई
अक्टूबर-दिसम्बर, 2021	पहली अगस्त से 31 अक्टूबर
जनवरी-मार्च, 2022	पहली नवंबर 2021 से 31 जनवरी 2022

वरिष्ठ नागरिको पर बढ़ सकता है टीडीएस का बोझ

वरिष्ठ नागरिको को आने वाले दिनों में अपनी आय पर अधिक टीडीएस (कमाई के स्त्रोत पर कर) देना पद सकता है।

ऐसा इसलिए कि 1 जुलाई 2021 से प्रस्तावित टीडीएस के नए नियम में उन लोगो के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है जो आयकर रिटर्न भरने के दायरे में नहीं आएंगे। ऐसे में आशंका है कि वरिष्ठ नागरिक (80 साल से अधिक) जो अपनी बचत का अधिकांश पैसा एफडी के तौर पर रखते है उससे होने वाली ब्याज आय पर बैंक अधिक टीडीएस काट लेंगे।

सरकार के नए नियम के मुताबिक़, जिनकी सालाना आय आयकर छूट की सीमा से नीचे है उन्हें रिटर्न भरने की जरुरत नहीं है। वहीं, वैसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय 80 साल से अधिक है उनको पांच लाख तक की सालाना आय पर रिटर्न भरने से छूट है।

ऐसे में अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की सालाना ब्याज आय पांच लाख रूपये तक है तो उसे रिटर्न भरने की जरुरत नहीं है। हालांकि, टीडीएस नियम के प्रस्ताव में इस विशेष उम्र के लोगो के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया है। प्रस्ताव के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति दो वित्त वर्ष का रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस व्यक्ति से आयकर कानून के मुताबिक़ या पांच फीसदी की दर के मुकाबले दोगुना टीडीएस काटा जाएगा। नए नियमो के मुताबिक़, जिन लोगो ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन सोर्स (टीसीएस) भी ज्यादा लगेगा। नए नियमो के मुताबिक़ 1 जुलाई 2021 से पीनल टीडीएस और टीसीएल दरें 10-20 % होंगी जो कि 5-10 % होती है।

सालाना ब्याज आय के अनुसार कर दी दर

बैंक अभी एक वित्त वर्ष में 40 हजार से अधिक ब्याज आय होने पर आम लोगो से 10 फीसदी टीडीएस वसूलते है। वहीँ, वरिष्ठ नागरिको के लिए यह सीमा 50 हज़ार है। अगर, पांच लाख ब्याज आय है तो इस पर 10% की दर से टीडीएस कटौती होगी। यानी 50 हजार रूपये की कटौती होगी। हालांकि, बैंक 10% के बजाय 20% की दर से कटौती कर सकते है। कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15 जी/15 एच को लेकर भी स्पष्टीकरण नहीं है।

छोटी जरूरतों के लिए खुद छापिए स्टांप

अब आप अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए बिना परेशान हुए खुद ही पांच सौ रूपये तक ऑनलाइन ई-स्टांपिंग कर सकेंगे। सरकार द्वारा सेल्फ प्रिंटिंग की अनुमति देने से आपको स्टाम्प पेपर के लिए अब न वेंडर के चक्कर लगाने होंगे ओर न ही ब्लैक में खरीदने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा।

दरअसल, फर्जी स्टाम्प पेपर की बिक्री को लेकर तेलगी स्टाम्प घोटाले के बाद से ही राज्य सरकार ई-स्टांपिंग की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पिछले वर्ष से भौतिक स्टाम्प पेपर मंगाना बंद कर चुकी है। ऐसे में ट्रेजरी से ख़त्म होते स्टाम्प पेपर से उनकी किल्लत बढ़ती जा रही है। शपत पत्र से लेकर रेंट एग्रीमेंट आदि के लिए 10 रूपये से 100 रूपये तक के स्टाम्प पेपर तीन से पांच गुना ज्यादा मूल्य पर ब्लैक में बेचे जा रहे है। हालांकि, स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (सीआरए) के माध्यम से किसी भी वैल्यू तक की ई-स्टाम्पिंग के लिए अब स्टाम्प वेंडर अधिकृत है, लेकिन वे भी कम मूल्य के ई-स्टाम्प प्रिंट करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, क्योंकि 100 रूपये के ई-स्टाम्प पर उन्हें बतौर कमीशन 11.5 पैसे ही मिलते है।

ऐसे में सरकार ने अब अधिकतम 500 रूपये तक के ई-स्टाम्प छापने की अनुमति सभी को दे दी है। इस सम्बन्ध में स्टाम्प आयुक्त मिनिस्ती एस. द्वारा जारी आदेश के मुताबिक़ कोई भी नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआइ के जरिए स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर कहीं से भी सीआरए की वेबसाइट (w w w . s h c i l s t a m p) स्टाम्प विभाग की वेबसाइट (i g r s . g o v . i n) पर जाकर ऑनलाइन ई-स्टाम्पिंग मॉड्यूल के तहत अब 500 रूपये तक के ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र खुद प्रिंट (80 जीएसएम एग्जीक्यूटिव बांड पेपर) कर सकेगा। सेल्फ प्रिंटिंग में धोका धड़ी रोकने के लिए सीआरए को सुरक्षा के सभी पहलुओं को देखने के निर्देश दिए गए है।

डिन से जारी वारंट पर ही अब कारोबारी के यहां छापा

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब जीएसटी अधिकारी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डिन) के जरिए वारंट पर ही कारोबारी के यहां छापा मार सकेंगे। कारोबारियों की शिकायत रहती थी कि अधिकारी कई बार सर्च वारंट में कारण अपने हिसाब से बदल लेते थे। अब डिन से सर्च वारंट जारी किए जाने से उसे बीच में बदला नहीं जा सकेगा।

WUPCCI

जीएसटी में सर्च वारंट के लिए अधिकारियों को अपने से वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी होती है। कुछ बदलाव होने पर अधिकारी सर्च वारंट को अपने हिसाब से मैनुअली बदल लेते थे। जिन चीजों को सर्च के लिए जरुरी बताया जाता था, वे उसमे भी बदलाव भी कर लेते थे। इस तरह की शिकायतों के बाद अब बोर्ड ने कहा कि जो भी सर्च वारंट जारी होगा, उसके लिए जरुरी कारण बताने होंगे। इसके अलावा सर्च वारंट डिन के जरिए ही जारी होना चाहिए ताकि उसे बदला न जा सके। कोई भी अधिकारी डिन के जरिए यह देख सकेगा कि सर्च वारंट में क्या गया था।

इतना ही नहीं, यदि यह सामने आए कि सर्च वारंट जिसके नाम पर जारी हुआ है, उसका निधन हो चुका है, तो उस वारंट पर वारिसों के यहां छापा नहीं मारा जा सकता। अधिकारी को फिर से वारंट जारी करना होगा और उसके लिए भी जरुरी कारण उच्चाधिकारी को बताने होंगे। छापे में लिए गए कागजात की फोटोकॉपी भी व्यापारी को देनी होगी।

MUDCCI

अब 15 राज्यों में कारोबार करना आसान, अब नहीं कराना होगा लाइसेंस रिन्यूअल

15 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब इन राज्यों में कारोबार करना काफी आसान होगा। यहां हर साल कारोबारियों को लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराना होगा। सुधार के तहत हर साल रिन्यूअल प्रणाली को खत्म कर दिया गया है।

ईओडीबी सुधार प्रक्रिया अपनाने से राज्यों को भी फायदा हुआ है। इन 15 राज्यों को 38088 करोड़ रूपये का अतिरिक्त ऋण जुटाने की अनुमति दी गई है। केंद्र की तरफ से कोरोना काल में राज्यों को यह पेशकश की गई थी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार प्रक्रिया पूरा करने वाले राज्यों में कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय औचक निरिक्षण प्रणाली को लागू करना होगा। अधिनियमों के तहत जहां निरीक्षकों की तैनाती केंद्रीय रूप से होती है। उस

निरीक्षक को बाद के वर्षो में उसी इकाई में निरिक्षण की इजाजत नहीं होगी। कारोबारियों को निरिक्षण से पूर्व सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और निरिक्षण के 48 घंटो के अंदर रिपोर्ट अपलोड करना जरुरी होगा।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक़, हाल ही में गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारो को पूरा करने की सूचना दी है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से हरी झंडी मिलने पर इन राज्यों को खुले बाजार से अतिरिक्त कर्ज जुटाने की इजाजत दी जाती है।

इससे पहले आँध्रप्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी सुधारो के पूरा होने की सूचना दी थी, जिसकी पुष्टि डीपीआइआइटी द्वारा की गई थी।

डिजिटलीकरण के बाद संभव हो सकेगी 'वन नेशन वन रजिस्ट्री'

देश में जमीनों का डिजिटल बंदोबस्त परवान चढ़ने के करीब पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्यों की लगभग 90 फीसद से अधिक जमीनों का डिजिटलीकरण हो चुका है। इससे 'वन नेशन वन रजिस्ट्री' लागू करने में मदद मिलेगी। डिजिटलीकरण के लिए भूमि दस्तावेज और जमीनों के मालिकाना हक़ का कम्प्यूटरीकरण पहले ही किया जा रहा है।

यह काम अब तक 24 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशो में लगभग पूरा हो चुका है। देश में भूमि की रजिस्ट्री को पारदर्शी बनाने के साथ-साथ एक सामान करने की दिशा में भी प्रगति हो रही है। इस साल से जमीन के एक ही नंबर की कई-कई के नाम फर्जी रजिस्ट्री कराने पर अंकुश लग सकेगा। देश में कुल 6.58 लाख गाँव है, जिनमे से 5.98 लाख गाँवों की जमीनों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। सभी राज्यों में यह प्रक्रिया लगभग पुरी होने के कगार पर है।

पैन से वेरिफिकेशन

भूमि दस्तावेज का कम्प्यूटरीकरण करने के साथ जमीन के नक़्शे का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 22 राज्यों के 90 फीसद से अधिक भूमि के नक्शो को डिजिटल किया जा चुका है। जमीन का बैनामा करते समय भू स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा। उसके बाद ई-केवाईसी, पेमेंट गेटवे और पैन का वेरिफिकेशन कराया जाएगा।

नक्शा पास कराना होगा महंगा बढ़ी विकास शुल्क की दरें

लखनऊ सहित कई बढ़े शहरों में भवन मानचित्र को पास करने के लिए अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने विकास शुल्क की सात वर्ष पुरानी दरों को बढ़ाते हुए उन्हें व्यावहारिक बनाए जाने का दावा किया है। विकास प्राधिकरणों की मनमानी पर अंकुश लगाते हुए सरकार ने दरों में एकरूपता लाने के लिए छोटे शहरों के लिए जहां अलग से काम दरें तय की है वही बड़े शहरों के लिए ज्यादा विकास शुल्क रखा गया है। प्रतिवर्ष आयकर विभाग ने कास्ट इंफलेशन इंडेक्स के अनुसार दरें बढ़ती भी रहेंगी।

दरों की तर्कसंगत बनाने के साथ ही विकासकर्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सात वर्ष पुरानी उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधन के मुताबिक़ अब विकास शुल्क की दरें पांच श्रेणियों में 400 से 2500 रूपये प्रति वर्ग मीटर के बजाए छोटे-बड़े शहरों, उप नगरों के विकसित-अविकसित क्षेत्र को देखते हुए तय की गई है। मुख्य नगर से दूर वाले क्षेत्र के लिए दरें काम रखी गई है। जिन शहरों का तेजी से विकास हो रहा है वहां की दरें कही ज्यादा है। मसलन गाज़ियाबाद की दर 2500 से 3208, लखनऊ, कानपुर व आगरा की 1400 से 2040, वाराणसी, प्रयागराज व मेरठ की 1000 से 1200 रूपये प्रतिवर्ग मीटर अब तय की गई है।

WUPCL

अब निजी भूमि को खनन की मंजूरी

प्रदेश सरकार ने ऐसी निजी भूमि जो नदी तट के बाहर है और वह कृषि भूमि नहीं है उसमे भी खनन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दोगुना रॉयल्टी लेकर भूस्वामियों को ही खनन की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसमें पर्यावरण की एनओसी लेना जरुरी होगा।

फायर एनओसी आसानी से मिलेगी

उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को अब आसानी से फायर एनओसी मिलेगी। एनओसी लेने के लिए नियम अब ओर ज्यादा स्पष्ट किए जाएंगे ताकि कोई भ्रम न रहे।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली 2005 में संशोधन किए जाएंगे। अब न्यूनतम मानक में ढांचागत जरूरतों को स्पष्ट किया जाएगा इससे सम्बंधित प्रस्ताव जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा।

अवैध निर्माणकर्ताओं को झटका, सिर्फ 10 प्रतिशत होगा शमन

शहर में अवैध निर्माणकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। नई शमन नीति पर हाईकोर्ट की रोक के बाद शासन ने 2010 की शमन नीति को बहाल कर दिया है। इससे अवैध निर्माणकर्ताओं को अब ज्यादा खर्च करने के बाद भी निर्माण का एक मात्र 10 % हिस्से का ही शमन होगा, बाकी हिस्सा ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि,एमडीए को शमन नीति की शुरुआत होने से राजस्व में वृद्धि होगी।

शमन नीति-2020 में अवैध निर्माण के हिस्से को 20 से 50 % तक शमन करने का प्रावधान था। इसके बाद ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से एमडीए में अवैध निर्माणकर्ता चक्कर लगा रहे थे। इस बीच एमडीए में 200 से अधिक आवेदन आ गए थे लेकिन रोक लगने के

बाद इन्हे वापिस कर दिया गया था। नई शमन नीति में निर्माण के 100 मीटर के दायरे में यदि पार्किंग की व्यवस्था है तो उसे शमन किया जा सकता था, लेकिन पुरानी शमन नीति में ऐसा नहीं है। निर्माण के दायरे में ही पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। यदि नहीं है तो उसे अवैध निर्माण माना जाएगा।

रिकॉर्ड स्टार्टअप की स्थापना, महिलाओं को मिल रही वरीयता

योगी सरकार ने युवाओं विशेषकर महिलाओं को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 लागू की है। इसके जरिए नए स्टार्टअप स्थापित करने हेतु कई प्रकार से प्रोत्साहन भी दे रही है। इसका ही नतीजा है कि जहां 2017 के पहले पुरे प्रदेश में महज 200 स्टार्टअप ही स्थापित हो सके थे वही केवल साढ़े तीन साल में 17 गुना बढ़कर कुल 3406 स्टार्टअप स्थापित किए जा चुके है। इससे करीब 22 हजार लोगो को रोजगार उपलब्ध हुआ है।

प्रदेश की स्टार्टअप नीति में महिलाओं की ख़ास तरजीह दी गई है। महिलाओं समित दिव्यांगों और थर्ड जेंडर को भी इस नीति के तहत 50 फीसदी अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही है। स्टार्टअप नीति के तहत नए स्टार्टअप को इन्क्यूबेटर की सुविधा है। हर इन्क्यूबेटर में 10 स्टार्टअप को 15000 रूपये प्रतिमाह निर्वहन भत्ता के रूप में एक साल तक दिया जाता है यदि स्टार्टअप महिला ने स्थापित किया है तो यह रकम बढ़ाकर 22750 रूपये हो जाती है।

पूंजी का भी महिलाओं को मिलेगा लाभ

स्टार्टअप में लगने वाली पूंजी भी महिलाओं को ज्यादा दी जाएगी। नीति के तहत 5 लाख रूपये की प्रारंभिक पूंजी दी जाती है। महिला स्टार्टअप के लिए यह रकम 7.5 लाख रूपये होगी। यह धनराशि तीन हिस्सों में बाटकर दी जाएगी। इसके लिए मानक तय कर दिए गए है। ये अतिरिक्त सुविधाएं दिव्यांगजन और थर्ड जेंडर को भी मिलेगी। यही नहीं यदि स्टार्टअप शुल्क करने वाला पुरुष है और उसके यहा 50 फीसदी से ज्यादा

महिलाएं, थर्ड जेंडर या दिव्यांग काम कर रहे है तो उसे भी यह सुविधा दी जाएगी। यदि महिला, दिव्यांग या थर्ड जेंडर सह संस्थापक है तो भी वे अतिरिक्त सुविधाओं के पात्र होंगे।

इन्क्यूबेशन सेंटर में महिलाओं को 25 फीसदी सीट

राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेशन सेंटर पर भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। इन्क्यूबेशन सेंटर की 25 फीसदी सीट महिला को मिलेगी। यूपी में लगभग 500 सीटे है। यदि महिला ने अपना स्टार्टअप साझेदारी में लगाया है तो भी उसे यहां सीट देने में वरीयता दी जाएगी। पूर्वांचल या बुंदेलखंड में अपना स्टार्टअप लगाने वाले लोगो और ईडब्लूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर स्टार्टअप को भी नीतियों के तहत 50 फीसदी अतिरिक्त फायदा मिलेगा।

बिजली के कार्यो के लिए उपकेंद्रों के न लगाने पड़ेंगे चक्कर

नए कनेक्शन ही नहीं बिजली संबंधी किसी भी काम के लिए आपको विद्युत उपकेंद्र कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पावर कारपोरेशन प्रबंधन जल्द ही केंद्रीयकृत वेब आधारित सिस्टम लागू करने जा रहा है जिससे घर बैठे ही उपभोक्ता को सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। ऑनलाइन विद्युत बिल जमा करने में भी किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए मैसेज के साथ एक वेब लिंक भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है जिसे खोलते ही पूरा बिल आपके सामने होगा और आप आसानी से उसे जमा कर सकेंगे।

दरअसल, सूबे के दूर-दराज वाले क्षेत्रो तक बिजली पहुंचाने के बाद अब उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 100 दिन की कार्ययोजना तय करते हुए बेहतर उपभोक्ता सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के सीएमडी को दिए है। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नए बिजली कनेक्शन के साथ ही स्थायी विच्छेदन (पीडी), स्वीकृत भर में बदलाव, विधा (श्रेणी) में परिवर्तन, मीटरो का स्थानांतरण, कनेक्शन का ट्रांसफर, खराब मीटर के बदले, गलत बिलो को ठीक कराने के लिए केंद्रीयकृत वेब आधारित सिस्टम लागू की जाएगी। इस सिस्टम में

किसी भी सेवा के आवेदन या शिकायत करने के साथ ही सम्बंधित दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा रहेगी। मौजूदा व्यवस्था की तरह किसी भी दस्तावेज को लेकर कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। दस्तावेज चेक कर सम्बंधित एसडीओ व अन्य को आवेदन निस्तारित करना होगा।

नियमित बिल देने वालो को प्रशंसा पत्र

सभी बिजली उपभोक्ता नियमित बिल देने के लिए प्रेरित हो, इसके लिए ऊर्जा मंत्री हस्ताक्षर से उन सभी उपभोक्ताओं को प्रंशसा पत्र (साधुवाद) भेजा जाएगा जो पिछले एक वर्ष के दौरान (कोविड-19 के कारण मार्च व अप्रैल को छोड़कर) समय से बिल का नियमित भुगतान करते रहे। प्रशंसा पत्र ई-मेल, मीटर रीडर या व्हाट्सअप आदि के माध्यम से भेजा जाएगा।

सही दिशा में सरकारी नीतियों से बनेंगे रोजगार

बात चौंकाने वाली है, किन्तु भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office) की रिपोर्ट बताती है कि बेरोजगारी की दर में मेरठ 8.5% के हिसाब से देश में दूसरे नम्बर पर है। पहला स्थान 8.9% की दर पर प्रयागराज का है। टॉप टैन में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज व मेरठ के अलावा कानपुर, गाजियाबाद व लखनऊ भी हैं।

मेरठ में रोजगार के प्रचुर साधन जोड़े जा सकते हैं, बशर्ते सरकार इस ओर सोचे या युवा सरकार को सोचने के लिए मजबूर करें। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह गंगा व जमुना के बीच का क्षेत्र है। खेती व सिंचाई के साधनों की कमी नहीं है। यह कृषि सम्पन्न क्षेत्र है, यदि गन्ने का भुगतान समय से हो तो युवाओं का रूझान कृषि की ओर बढ़ सकता है। पशु पालन भी उत्कृष्ट घरेलू रोजगार का साधन है। दूध उत्पादक को उपभोक्ता मूल्य के आधे दाम भी नही मिल पा रहे है अन्यथा बड़ी संख्या में युवाओं के रोजगार सृजन का जरिया डेयरी हैं।

बेशक यहाँ बड़े उद्योग नहीं हैं परन्तु रोजगार में 11% की भागीदारी वाले सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए मेरठ मुफीद है। यदि यहाँ के उद्यमियों द्वारा मांगी जा रही सुविधाओं पर सरकार ध्यान दे तो मेरठ के उद्यमी अन्य शहरों के बेरोजगारों को मेरठ में रोजगार उपलब्ध कराने का हौसला रखते हैं।

पिछले दस वर्षों से उद्योगों के लिए नई जमीन नहीं मिली है। डेढ़ दशक पूर्व आवास विकास द्वारा विकसित लोहिया नगर अभी पूर्ण विकसित नहीं है। कारखानों के लिए जमीन की कमी के रहते छोटे

उद्योगों की चाहत रखने वाले कुछ युवाओं ने मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में यूनिटें लगा ली हैं। उन्हें विकास प्राधिकरण व आवास विकास के कोप का भाजन बनना पड़ रहा है।

छोटे उद्योग वाले चाहते हैं कि उनके बनाए हुए सामान के प्रचार के लिए सरकार की मदद मिले। अपने उत्पादों की देश-विदेश में विक्रय हेतु अपने सामान के प्रचार लायक पूँजी हरेक के पास नहीं होती। केन्द्र व राज्य सरकारें इसमें साधन उपलब्ध कराकर मदद कर सकती हैं। सरकार सीधे विज्ञापन न कर क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शनी लगाकर तथा उस प्रदर्शनी का प्रचार कर अपने राज्य का व्यापार व अपनी जी०डी०पी० बढ़ा सकती है। मेरठ निवासी कहते हैं कि उनके यहाँ नौचन्दी मैदान साल के 11 महीने खाली पड़ा रहता है। सरकार इस विसाल मैदान को स्थाई प्रदर्शनी स्थल में बदल कर यहाँ **दिल्ली ट्रेड फेयर** या **नोएडा एक्सपो सेंटर** की तर्ज पर शेड बनवा सकती है जहाँ मेरठ, सहारनपुर व मुरादाबाद मंडल के उद्यमी अपने उत्पादों की समय-समय पर प्रदर्शनी लगा सकते हैं। इस प्रदर्शनी स्थल पर विक्रेता व क्रेता वन टू वन मीटिंग कर सकते हैं।

मेरठ ऐतिहासिक धरोहरों से परिपूर्ण है जिनको पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित कर देश-विदेश के सैलानियों को आकर्षित किया जा सकता है। पर्यटन उद्योग रोजगार सृजन के साथ राष्ट्रीय आय मे इजाफा करने वाला सैक्टर है।

पांडवों की राजधानी व जैन तीर्थ स्थल हस्तिनापुर, सरधना का चर्च, बरनावा में लाक्षागृह, गढ़मुक्तेश्वर का पवित्र गंगा तीर्थ स्थल व 1857 का क्रान्ति उदगम स्थल काली पलटन मन्दिर आदि ऐसे स्थान हैं जो सैलानियों को खींच कर ला सकते हैं। इनके आस-पास के स्थलों का सौंदर्यीकरण तथा इन तक पहुँचने के मार्ग चौड़े व सपाट करा देने से उत्साहवर्द्धक परिणाम मिलेंगे। हस्तिनापुर को रेल लिंक मिलते ही दुनिया भर से जैन समाज के लोग यहाँ आने लगेंगे। पर्यटन के अन्तर्गत अनेकों प्रकार से होटल, बाजार, ट्रान्सपोर्ट युवाओं को रोजगार दिलवायेंगे।

प्रशासन की वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार टोल-टैक्स एक बुरा कन्सैप्ट है। इससे बेहतर विकल्प सड़क निर्माण के साथ बाजार विकास है जिससे प्राप्त सर्विस टैक्स तुलनात्मक रुप से शासन के लिए लाभकारी है। कोई भी युक्ती टोल को जाम मुक्त नहीं कर सकती। यात्रियों की झुंझुलाहट, रोजमर्रा की मारपीट व ईधन की बरबादी टोल-टैक्स के साइड इफैक्ट हैं।

मेरठ का हवाई अड्डा अभी I.C.U. वाली स्थिति में ही है। यहाँ VIP प्लेन, हैलीकॉप्टर तो उतरते हैं परन्तु कॉमर्शियल फ्लाइट का इंतजार है जिसके चालू होते ही सहारनपुर, मुरादाबाद तक के उत्पादकों के लिए ग्राहकों की आमद बढ़ेगी।

क्षेत्र में यह विचार भी काफी हवा ले रहा है कि क्यूं न मेरठ में उत्तर प्रदेश का मिनी सचिवालय बनाकर विभाजन के मुद्दे पर 'सांप मरे पर लाठी न टूटे' वाला काम कर लिया जाय? इससे विभाजन के सभी लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिल जाऐंगे तथा क्षेत्र की जनता को छोटे-बड़े कामों के लिए आए दिन लखनऊ नहीं भागना पड़ेगा। हस्तिनापुर में शासन के पास इसके लिए समुचित जमीन भी उपलब्ध है। मेरठ के रोजगार में इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। इससे हाईकोर्ट बैंच का यहाँ आना सुविधापूर्ण हो जाएगा।

कुल मिलाकर देखें तो सरकारें रोजगार सृजन के वादे तो करती है परन्तु वास्तविकता यह है कि छंटनी भी हो रही है व बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में हमें विश्वास है कि मेरठ पर ध्यान देकर प्रदेश व केन्द्र सरकार क्षेत्र के विकास में पंख अवश्य लगायेगी।
रोजगार अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार को रोजगार सृजन के साथ बेरोजगार युवाओं में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। रोज-रोज के झूठ से समाज का प्रत्येक वर्ग हतास है अब नारे व मुहावरे गढ़ने से काम नहीं चलेगा। बेरोजगारी की विकराल समस्या पर सरकार व विपक्ष दोनों को खीचतान छोड़ विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

गोपाल अग्रवाल

XXXXXXXXXXXX

WUPCCI